

## राजस्थान आवासन मण्डल::जयपुर

क्रमांक:-प1(1) कार्मिक/निजी चिकि./2010/1606

दिनांक:- 27/7/10

### कार्यालय आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा इन्डोर पेशेन्ट के कुल बिल पर तथा समस्त प्रकार की जाँचों पर उनके नाम के आगे अंकित छूट प्रदान की जायेगी :-

क्र. स.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर	चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल बिल पर छूट
1.	संजय डेन्टल क्लिनिक, महावीर मार्ग, बाटा शोरूम के सामने, एम.आई. रोड़, जयपुर पिन कोड-302001	0141-2372175 9829066064	10 प्रतिशत
2.	अरोड़ा हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड 42, कृष्णा नगर, भरतपुर पिन कोड-321001	05644-224667, 224650	20 प्रतिशत

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ. मंडल, जयपुर।
2. व0 निजी सहायक सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी,राज. आवा. मंडल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता .....राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... राज. आवासन मण्डल, .....
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड-..... राज. आवासन मण्डल, .....
6. सम्बन्धित हॉस्पिटल .....
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)..... राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

सचिव